

Q. → त्रुटि-पत्र शोधन से सम्बन्धित वैधानिक प्रावधान क्या है? कम्पनी (कॉम्प्यूटिंग) विधि, 2014 में वर्णित तथ्यों को बताएँ?

Ans: → कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 71(4) के अनुसार, (1) यदि कोई कम्पनी इस अधिनियम के प्रावधानों के बावजूद त्रुटि-पत्र निर्गमित करती है तो उसे त्रुटि-पत्रों के शोधन (शोधन) हेतु 'त्रुटि-पत्र शोधन निधि खाता' (Debenture Redemption Reserve Account - DRRA) का निर्माण करना होगा। यदि त्रुटि-पत्रों के शोधन होने तक इस खाते में प्रत्येक वर्ष कम्पनी के आयों में से पर्याप्त राशि जमा करी परेगी अर्थात् इतना करी जायेगी कि इस प्रकार के त्रुटि-पत्रों का शोधन नहीं हो जाय। DRRA में कितनी राशि में कितनी राशि इस्तेमाल करनी होगी, इसका उल्लेख कम्पनी अधिनियम में नहीं किया गया है।

(2) त्रुटि-पत्र शोधन निधि खाते में जमा धन का उपयोग त्रुटि-पत्रों के शोधन के अलावा किसी अन्य उपयोग में नहीं किया जायेगा।

कम्पनी (कॉम्प्यूटिंग) विधि, 2014  
Companies (Share Capital and Debentures) 2014

(1) एक कम्पनी के लिए, त्रुटि-पत्रों के शोधन से उत्पन्न त्रुटि-पत्र निर्गमन राशि से कम-से-कम 25% के बराबर भाग का त्रुटि-पत्र शोधन निधि में इस्तेमाल कराना आवश्यक है। यह प्रावधान केवल अपरिवर्तनीय त्रुटि-पत्रों तथा परिवर्तनीय त्रुटि-पत्रों के अपरिवर्तनीय भाग के लिए लागू है। इस प्रकार लाभ-हानि विवरण के आयिक भाग (Surplus) से त्रुटि-पत्र शोधन निधि खाते का निर्माण किया जाता है।

(2) त्रुटि-पत्र शोधन निधि सामान्य का एक भाग है। यह कम्पनी के वॉल्व निर्गमन के लिए उपलब्ध रहेगा।

(3) परिवर्तनीय त्रुटि-पत्रों के निर्गमन या आयिक परिवर्तनीय त्रुटि-पत्रों के परिवर्तनीय भाग के लिए त्रुटि-पत्र शोधन निधि (DRR) के निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

(4) अधिनियम मातृ विधीय संख्या 10, सार्वी आई. ए. सी. द्वारा विनियमित है तथा कम्पनी अधिनियम को सार्वजनिक



